निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 126) पटना, सोमवार, 8 फरवरी 2016

सं0 08/आरोप–01–36/2014,सा०प्र०—17113
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
11 दिसम्बर 2015

श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–766/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, विस्फी (मधुबनी), कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर अनुमंडल, दरभंगा–सह–नजारत उप समाहर्त्ता, जिला नजारत, दरभंगा के विरूद्ध मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने तथा वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16691, दिनांक 07.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–116, दिनांक 04.03.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–4090, दिनांक 17.03.2015 द्वारा उनके वर्तमान पदस्थापन, यथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद के पता पर उनसे लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण–पृच्छा) की माँग की गयी। श्री नाथ ने उक्त पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप पत्र एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत निम्न तथ्य पाया गया :–

(i) अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं उच्चाधिकारियों के निदेश/आदेश के अनुपालन में प्रत्युत्तर समर्पित नहीं करने की श्री नाथ की प्रवृत्ति रही है जो विभागीय कार्यवाही के दौरान पर्याप्त अवसर एवं समुचित रूप से सूचना दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने के तथ्य से प्रमाणित होता है।

(ii) मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं उसके कारण समाचार पत्र में सूचना भी प्रकाशित की गयी। इन सब में अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का तथ्य प्रमाणित होना।

(iii) कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर अनुमंडल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित रहते हुए नजारत उप समाहर्त्ता, के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के बावजूद रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना तथा डबल लौक की एक चाभी लेकर गायब हो जाने से वित्तीय अनियमितता एवं अनुशासनहीनता का प्रमाणित होना।

4. आरोप एवं जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक रूप से विचारोपरांत श्री नाथ के विरूद्ध **''तीन वेतन वृद्धि पर संचयी प्रभाव से रोक तथा प्रोन्नति पर तीन वर्षो तक रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से)''** संबंधी दंड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक–8323, दिनांक 10.06.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की माँग की

गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1757, दिनांक 08.10.2015 से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड पर आयोग की सहमति संसूचित की गई।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–766/11 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद (सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पद पर अधिसूचित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 में प्रावधानित निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

(क) तीन वेतन वृद्धि पर संचयी प्रभाव से रोक,

(ख) प्रोन्नति पर तीन वर्षो तक रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से)

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 126-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in